

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादम जिला हनुमानगढ़

पीढारीन अधिकाारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर. ए. एम.

प्रकरण सं० : 04/2018

अनवान :

1. रामफल पुत्र गुगनराम जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादस।

:- वादी

ब नाम

1. गरिया पुत्री मावूसम पत्नी गगवानराम जाति अहीर निवासी हाल धमाना जिला हिसार।
2. भूला पत्नी मसूदी पुत्री प्रताप जाति अहीर निवासी दहमान हाल कृपासम की ढाणी रोहतक गेट, तहसील व जिला गिवाणी।
3. कमला पत्नी मांगेराम पुत्री प्रताप जाति अहीर निवासी दहमान हाल दादरी गेट ढाणा रोड, देवनागर बुस्टर के पास त० व जिला गिवाणी।
4. धन्ना पि० गुगनराम जाति अहीर राकिन जोगीवाला त० भादस।
5. लक्ष्मण पि० गुगनराम जाति अहीर राकिन जोगीवाला त० भादस।
6. अमरसिंह पुत्र दयासम जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादस।
7. आंगप्रकाश पुत्र चरणा जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादस।
8. रोहताश पुत्र श्री चरणा जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादस।
9. विष्णु पत्नी लिच्छीराम पुत्री चरणा जाति अहीर निवासी हाल दडवाकला त० नाथूसारी चौपटा जिला शिरसा।
10. बन्ती पत्नी गोपाल पुत्री चरणा जाति अहीर निवासी हाल ढाणी श्यामलाल, मकान न० 141 त० जिला हिसार।
11. प्रदीप पुत्र रेशमा पुत्र रणधीर जाति अहीर निवासी हाल ढाणी श्यामलाल मकान 141 त० जिला हिसार।
12. भीनू पुत्री रेशमा पुत्री रणधीर जाति अहीर निवासी हाल ढाणी श्यामलाल मकान 141 त० जिला हिसार।
13. गंगापति पत्नी काशीराम जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादस।
14. कुलदीप पुत्र काशीराम जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादस।
15. प्रदीप पुत्र काशीराम जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादस।
16. सुमन पुत्री काशीराम पत्नी बलवान जाति अहीर निवासी हाल जगावडी त० हंसी जिला हिसार।
17. सुलहपति पत्नी मुकुन्दा जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादस।

BA

18. जयपाल पुत्र श्री मुकन्दा जाति अहीर निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
19. बाला पत्नी सन्तू पुत्री मुकन्दा जाति अहीर निवासी हाल श्यामलोकलां त0 जिला जिंद।
20. भतेरी पत्नी शमशेर पुत्री मुकन्दा जाति अहीर निवासी हाल श्यामलोकलां त0 जिला जिंद।
21. प्रियंका पत्नी, गणेश पुत्री मुकन्दा जाति अहीर निवासी हाल श्यामलोकलां त0 जिला जिंद।
22. फुलसिंह पुत्र हीरानंद जाति अहीर निवासी जोगीवाला त0 भादरा - फौत।
- 22ए- रोशनी पत्नी फुलसिंह, 22बी- नरेश पुत्र फुलसिंह, 22सी- कृष्ण पुत्र फुलसिंह जाति अहीर निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
23. बलवान पुत्र हीरानंद जाति अहीर निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
24. गुड्डी पत्नी श्रीनिवास पुत्री हीरानंद जाति अहीर निवासी हाल जमालपुर त0 भादरा।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ श्रीमति शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री किशनलाल यादव तथा वकील प्रतिवादी जगदीश महला की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रशासन गांव के संग अभियान सागडा में प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा चक 9 झांसल जमाबंदी संवत 2072-2075 खाता संख्या 361/353, मुरबा नं0 253 किला नं0 21, मुरबा नं0 253, किला नं0 16 ता 25, मुरबा नं0 255, किला नं0 14 ता 17, 24, 25 की कुल 4.301 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि है बारानी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा दिनांक 11.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

हिस्सा रामफल, धन्ना, लक्ष्मण पि0 गुगनराम कोम अहीर सा0 जोगीवाला खातेदार:-

मु0 न0 254 के किला न0 20/1 की 0.116है0, किला न0 21 की 0.253है0, जिसमें बारानी 0.240है0, गै0 मु0 रास्ता 0.013है0,

मु0 न0 255 के किला न0 16/1 की 0.100है0, 17/1 की 0.100है0, 24 की 0.253है0 25 की 0.253है0 कुल रकबा 1.075है0, जिसमें बारानी 1.062है0, गै0 मु0 रास्ता 0.013है0

हिस्सा अमरसिंह पुत्र दयाराम कोम अहीर सा0 जोगीवाला खातेदार:-

मु0 न0 254 के किला न0 19/1 की 0.113है0, 20/2 की 0.137है0,

मु० न० 255 के किला न० 14 ता 15 की 0.506है०, 16/2 की 0.153है०, 17/2 की 0.153है०, कुल रकबा 1.062है० बारानी

हिस्सा औमप्रकाश रोहताश पि० चरणा 1/3 हिस्सा, गंगापति पत्नी काशीराम, कुलदीप, प्रदीप, सुमन पि० काशीराम 1/6 हिस्सा, विद्या, बन्ती पुत्रियान चरणा 1/3 हिस्सा, प्रदीप, मीनू पि० रेशमा पुत्री चरणा 1/6 हिस्सा कोम अहीर सा० जोगीवाला खातेदार:-

मु० न० 254 के किला न० 18 की 0.253है०, जिसमें बारानी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, 19/2 की 0.140है०, जिसमें 0.120है० बारानी, गै० मु० रास्ता 0.013है० व 0.007है० कुल रकबा 0.393है०, जिसमें बारानी 0.360है०, गै० मु० रास्ता 0.033है०।

हिस्सा रोशनी पत्नी फुलसिंह, नरेश, कृष्ण पि० फुलसिंह 1/3 हिस्सा, बलवान, गुडडी पि० हीरानन्द 2/3 हिस्सा कोम अहीर सा० जोगीवाला खातेदार:-

मु० न० 254 के किला न० 22 की 0.253है०, जिसमें बारानी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, 23/1 की 0.105है० कुल रकबा 0.358है० जिसमें बारानी 0.345है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०

हिस्सा सुलहपति पत्नी मुकन्दा, जयपाल पुत्र मुकन्दा कोम अहीर सा० जोगीवाला खातेदार:-

मु० न० 254 के किला न० 16/1 की 0.105है०, किला न० 17 की 0.253है० कुल रकबा 0.358है० बारानी।


हिस्सा मरिया पुत्री मातूराम 1/2 हिस्सा, भूला, कमला पुत्रियान प्रताप 1/2 हिस्सा कोम अहीर सा० जोगीवाला खातेदार:-

मु० न० 253 किला न० 21 की 0.253है०, मु० न० 254 के किला न० 16/2 की 0.148है०, 23/2 की 0.148है०, 24 व 25 की 0.506है० कुल रकबा 1.055है० बारानी।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री संलग्न कर जारी की जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)



न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एम.

प्रकरण सं० : 04/2018

अनवान :

1. रामफल पुत्र गुगनराम जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादरा।
:-वादी

व न अ म

1. मरिया पुत्री मातूराम पत्नी भगवानराम जाति अहीर निवासी हाल धमाना जिला हिसार।
2. भूला पत्नी मसूदी पुत्री प्रताप जाति अहीर निवासी दहमान हाल कृपाराम की ढाणी रोहतक गेट, तहसील व जिला भिवानी।
3. कमला पत्नी मांगेराम पुत्री प्रताप जाति अहीर निवासी दहमान हाल दादरी गेट ढाणा रोड, देवनगर बुस्टर के पास त० व जिला भिवानी।
4. धन्ना पुत्र गुगनराम जाति अहीर साकिन जोगीवाला त० भादरा।
5. लक्ष्मण पुत्र गुगनराम जाति अहीर साकिन जोगीवाला त० भादरा।
6. अमरसिंह पुत्र, दयाराम जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादरा।
7. औमप्रकाश पुत्र चरणा जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादरा।
8. रोहताश पुत्र श्री चरणा जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादरा।
9. विधा पत्नी लिच्छीराम पुत्री चरणा जाति अहीर निवासी हाल दडवाकला त० नात्थूसरी चौपटा जिला सिरसा।
10. वन्ती पत्नी गोपाल पुत्री चरणा जाति अहीर निवासी हाल ढाणी श्यामलाल मकान न० 141 त० जिला हिसार।
11. प्रदीप पुत्र रेशमा पुत्र रणधीर जाति अहीर निवासी हाल ढाणी श्यामलाल मकान 141 त० जिला हिसार।
12. मीनू पुत्री रेशमा पुत्री रणधीर जाति अहीर निवासी हाल ढाणी श्यामलाल मकान 141 त० जिला हिसार।
13. गंगापति पत्नी काशीराम जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादरा।
14. कुलदीप पुत्र काशीराम जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादरा।
15. प्रदीप पुत्र काशीराम जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादरा।
16. सुमन पुत्री काशीराम पत्नी बलवान जाति अहीर निवासी हाल जमावडी त० हांसी जिला हिसार।
17. सुलहपति पत्नी मुकन्दा जाति अहीर निवासी जोगीवाला त० भादरा।

18. जयपाल पुत्र श्री मुकन्दा जाति अहीर निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
19. बाला पत्नी सन्तू पुत्री मुकन्दा जाति अहीर निवासी हाल श्यामलोकलां त0 जिला जिंद।
20. भतेरी पत्नी शमशेर पुत्री मुकन्दा जाति अहीर निवासी हाल श्यामलोकलां त0 जिला जिंद।
21. प्रियंका पत्नी गणेश पुत्री मुकन्दा जाति अहीर निवासी हाल श्यामलोकलां त0 जिला जिंद।
22. फुलसिंह पुत्र हीरानंद जाति अहीर निवासी जोगीवाला त0 भादरा - फौत।
- 22ए- रोशनी पत्नी फुलसिंह, 22बी- नरेश पुत्र फुलसिंह, 22सी- कृष्ण पुत्र फुलसिंह जाति अहीर निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
23. बलवान पुत्र हीरानंद जाति अहीर निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
24. गुड्डी पत्नी श्रीनिवास पुत्री हीरानंद जाति अहीर निवासी हाल जमालपुर त0 भादरा।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन एवं स्थाई निषेध

अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री किशनलाल यादव : वादी

वकील प्रतिवादी जगदीष महला : प्रतिवादी

दिनांक: 11.11.2021

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 9 झांसल के खाता सं0 361/353 के मु0 न0 253 किला न0 21, मु0 न0 253 किला न0 16 ता 25, मु0 न0 255 किला न0 14 ता 17, 24, 25 कुल 4.301 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी दर्ज है, जिसमें सुरजा पुत्र नत्थू के नाम 1/4 हिस्सा, मारिया पुत्री मातूराम का 1/8 हिस्सा, भूला, कमला पुत्रियां प्रताप 1/8 हिस्सा, घनश्याम, अमरसिंह पि0 दयाराम 1/4 हिस्सा, रामफल, धन्ना, लक्ष्मण पि0 गुगन 1/4 हिस्सा के नाम से खातेदारी दर्ज है। नकल जमाबंदी पेश है यही बिनाय दावा है।

सुरजा उर्फ सुरता का देहान्त हो चुका है। सुरजा उर्फ सुरता के तीन पुत्र चरणा, मुकन्दा, हीरानंद हुए। उक्त तीनों की मृत्यु हो चुकी है। चरणा के हक पर उसके वारिसान उसका पुत्र औमप्रकाश, रोहताश व पुत्रियां विधा, वन्ती, रेशमा तथा मृतक पुत्री काशीराम के वारिसान उसकी पत्नी गंगापति, पुत्र कुलदीप व प्रदीप तथा सुमन पुत्री मौजूद है व रेशमा का देहान्त हो चुका है, जिसके हक पर उसका पुत्र प्रदीप व पुत्री मीनू मौजूद है तथा मुकन्दा के हक पर उसकी पत्नी सुलहपति पुत्र जयपाल तथा पुत्रियां वाला, भतेरी, प्रियंका, मौजूद है। इसी प्रकार हीरानंद के हक पर उसके दो पुत्र फुलसिंह, बलवान व एक पुत्री गुड्डी मौजूद है। जानकारी के अनुसार सुरता के 1/4 हिस्सा की बाबत उपरोक्त सभी विरासतन हकदार हैं, इसलिए उन्हें दावा में बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार घनश्याम लाओलाद कुंवारा ही आज

से करीब 50 वर्ष पहले फौत हो गया था। तथा जानकारी के अनुसार उसका सगा भाई अमरसिंह, उसका वारिस है। इसलिए 1/4 हिस्सा की बाबत विरासतन पक्षकार बनाया गया है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी अपने अपने हिस्सा की भूमि संयुक्त रूप से काश्त करते हैं। वाद भूमि का मौका पर वाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स कभी भी विभाजन नहीं हुआ है। वाद भूमि का खाता व लगान संयुक्त होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच अकसर विवाद होते रहते हैं। इसलिए वादीगण उक्त विवाद को मिटाने के लिए वाद भूमि का अच्छी में से अच्छी एवं मंदी में से मंदी के मुताबिक विभाजन करवाकर अपने हक व हिस्सा की भूमि का अलग से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी द्वारा उक्त वाद पेश करने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिए सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल रजिस्टर्ड एडी से करवाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15, 17 ता 21, 23, 24 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं आए। इसलिए उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 22 फुलसिंह का देहान्त हो जाने पर वादी द्वारा फुलसिंह के वारिसान को पक्षकार बनाने हेतु आदेश 22 नियम 4 सीपीसी की दरखास्त अंकित किया। प्रतिवादी संख्या 16 व 22 ए, 22 बी, 22सी, ने उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता की मार्फत दावा को स्वीकार करते हुए अपना जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

एक पक्षीय साक्ष्य में वादी रामफल के बयान करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्यों में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी चक 9 झांसल के खाता संख्या 361/353 संवत 2072-2075 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाई गई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि उनके नाम खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि का उनके हक व हिस्सा के मुताबिक अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी के मुताबिक प्रतिवादीगण से विभाजन किया जाकर खाता व लगान अलग करवाया जावें।

वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादी के हिस्से में 1/12 हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी ने वाद भूमि का खाता विभाजन करवाने का कथन किया है। अतः वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया गया कि है कि चक 9 झांसल जमाबंदी संवत 2072-2075 खाता संख्या 361/353, मुरबा नं0 253 किला नं0 21, मुरबा नं0 253, किला नं0 16 ता 25, मुरबा नं0 255, किला नं0 14 ता 17, 24, 25 की कुल 4.301 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि है बारानी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नवशा दिनांक 11.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा

के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

हिस्सा रामफल, धन्ना, लक्ष्मण पि० गुगनराम कोम अहीर सा० जोगीवाला खातेदार:-
मु० न० 254 के किला न० 20/1 की 0.116 है०, किला न० 21 की 0.253 है०, जिसमें बारानी 0.240 है०, गै० मु० रास्ता 0.013 है०,
मु० न० 255 के किला न० 16/1 की 0.100 है०, 17/1 की 0.100 है०, 24 की 0.253 है० 25 की 0.253 है० कुल रकबा 1.075 है०, जिसमें बारानी 1.062 है०, गै० मु० रास्ता 0.013 है०

हिस्सा अमरसिंह पुत्र दयाराम कोम अहीर सा० जोगीवाला खातेदार:-
मु० न० 254 के किला न० 19/1 की 0.113 है०, 20/2 की 0.137 है०,
मु० न० 255 के किला न० 14 ता 15 की 0.506 है०, 16/2 की 0.153 है०, 17/2 की 0.153 है०, कुल रकबा 1.062 है० बारानी

हिस्सा औमप्रकाश रोहताश पि० चरणा 1/3 हिस्सा, गंगापति पत्नी काशीराम, कुलदीप, प्रदीप, सुमन पि० काशीराम 1/6 हिस्सा, विद्या, बन्ती पुत्रियान चरणा 1/3 हिस्सा, प्रदीप, मीनू पि० रेशमा पुत्री चरणा 1/6 हिस्सा कोम अहीर सा० जोगीवाला खातेदार:-
मु० न० 254 के किला न० 18 की 0.253 है०, जिसमें बारानी 0.240 है०, गै० मु० रास्ता 0.013 है०, 19/2 की 0.140 है०, जिसमें 0.120 है० बारानी, गै० मु० रास्ता 0.013 है० व 0.007 है० कुल रकबा 0.393 है०, जिसमें बारानी 0.360 है०, गै० मु० रास्ता 0.033 है०।

हिस्सा रोशनी पत्नी फुलसिंह, नरेश, कृष्ण पि० फुलसिंह 1/3 हिस्सा, बलवान, गुडडी पि० हीरानन्द 2/3 हिस्सा कोम अहीर सा० जोगीवाला खातेदार:-
मु० न० 254 के किला न० 22 की 0.253 है०, जिसमें बारानी 0.240 है०, गै० मु० रास्ता 0.013 है०, 23/1 की 0.105 है० कुल रकबा 0.358 है० जिसमें बारानी 0.345 है०, गै० मु० रास्ता 0.013 है०

हिस्सा सुलहपति पत्नी मुकन्दा, जयपाल पुत्र मुकन्दा कोम अहीर सा० जोगीवाला खातेदार:-
मु० न० 254 के किला न० 16/1 की 0.105 है०, किला न० 17 की 0.253 है० कुल रकबा 0.358 है० बारानी।

हिस्सा मरिया पुत्री मातूराम 1/2 हिस्सा, भूला, कमला पुत्रियान प्रताप 1/2 हिस्सा कोम अहीर सा० जोगीवाला खातेदार:-
मु० न० 253 किला न० 21 की 0.253 है०, मु० न० 254 के किला न० 16/2 की 0.148 है०, 23/2 की 0.148 है०, 24 व 25 की 0.506 है० कुल रकबा 1.055 है० बारानी।

निर्णय आज प्रशासन गांव के संग अभियान सागडा दिनांक 11-11-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(शकुन्ता चौधरी)
(फिवर प्रभारी)
R.A.S.
सहायक बल्लभ (फास्ट ट्रेक)
प्रशासनिक अधिकारी (फास्ट ट्रेक) माला
धरमपुरी, जिला-20, अनुमान मंड
कैम्प
2-11-21